भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 1144
उत्तर देने की तारीख - 16 अगस्त, 2013

अनचाही वाणिज्यिक काल/एसएमएस के विरुद्ध कार्रवाई

1144. श्री सालिम अन्सारी :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनचाही वाणिज्यिक कालों और एस एम एस की परेशानी को रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से टेलीफोन नम्बरों और अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्शनों को काटने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टेलीफोन प्रचालकों द्वारा अभी तक कम्पनी-वार कितने फोन/इन्टरनेट कनेक्शन काटे गए; और

(ग) क्या सरकार ऐसी कालों/एसएमएस के लिए भारी जुर्माना और कारावास देने के लिए टेलीकॉम कामर्शियल कम्युनिकेशन्स कस्टमर्स प्रेफेरेंस रेगुलेशन, 2013 में संशोधन करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) का समाधान करने के लिए एक संशोधित कार्यपद्धत्ति निर्धारित की है और ये विनियम दिनांक 27.09.2011 से लागू किए गए। ट्राई ने इन विनियमों में विभिन्न संशोधन भी किए हैं तथा विनियामक कार्यपद्धत्ति को अधिक प्रभावी और कड़ा बनाने के लिए अनेक निर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में दिनांक 23.5.2013 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (बारहवाँ संशोधन) विनियम जारी किए जाने के कारण सेवा प्रदाता उन उपभोक्ताओं के दूरसंचार संसाधनों को काट रहे हैं जिन्होंने एक टेलीमार्केटर के रूप में ट्राई के साथ पंजीकरण नहीं कराया है और जिनके विरूद्ध अवांछित वाणिज्यिक कॉल (यूसीसी) भेजे जाने के बारे में वैध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस विनियम में वास्तविक अभिगम प्रदाताओं द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के सभी दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने, ऐसे उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों को दो वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाले जाने, ऐसे उपभोक्ताओं को काली सूची में डाले जाने के 24 घंटों के अंदर अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे उपभोक्ताओ के दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इस विनियम के अनुसार, किसी अभिगम प्रदाता द्वारा काली सूची में डाले गए ऐसे उपभोक्ताओं को दो वर्ष की अवधि तक कोई दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे।

जारी...2

ट्राई द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों के अनुपालन में सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे कुल 336304 उपभोक्ताओं के टेलीफोन कनेक्शन काटे गए हैं जो टेलीमार्केटर के रूप में ट्राई के साथ पंजीकृत नहीं हैं और ऐसे 25295 उपभोक्ताओं के नाम एवं पतों को काली सूची में डाला गया है। टेलीफोन प्रचालकों द्वारा अभी तक काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	**प्रचालक का नाम**	**काटे गए टेलीफोनों की संख्या**
1.	रिलायंस कम्युनिकेशन लि.	96658
2.	एयरसेल/डिशनेट वायरलैस लि.	107199
3.	भारती एयरटेल लि.	4151
4.	टाटा टेलीसर्विसिज लि.	77145
5.	आइडिया सेलुलर लि.	5712
6.	एमटीएनएल	40
7.	बीएसएनएल	2
8.	यूनीटैक वायरलैस प्रा. लि.	1732
9.	वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लि.	8
10.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसिज लि.	12882
11.	लूप मोबाइल (इंडिया) लि.	87
12.	वोडाफोन इंडिया लि.	30686
13.	क्वार्डेंट टेलीवेंचर लि.	2

(ग) जी, नहीं। इस विनियम में पंजीकृत टेलीमार्केटरों पर पहले उल्लंघन के लिए 25000 रूपए से लेकर छठे उल्लंघन के लिए 2,50,000 लाख रूपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है।

*****